

[2023] 3 एस. सी. आर 844

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

ए.

प्रकाश अग्रवाल

बी.

गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड और एक और (2023 की आपराधिक अपील संख्या 1308)

बी.

अप्रैल 28, 2023

[बी. आर. गवई और विक्रम नाथ, जे. जे.]

न्याय प्रशासन-विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग-आयोजित:प्रत्यर्थी No.1-complainant ने पक्षों के बीच विशुद्ध रूप से संविदात्मक विवाद को आपराधिक मामले में बदलने का प्रयास किया है-इतना ही नहीं, शिकायत दर्ज करने में अत्यधिक देरी होती है-इसके अलावा, शिकायत को उसके अंकित मूल्य पर भी लिया जाता है, यह खुलासा नहीं करता है कि शिकायत किए गए अपराध के किसी भी तत्व को बनाया गया है-इस प्रकार, वर्तमान शिकायत और कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है-निचली अदालत में दायर शिकायत। 403, 406, 420, 120 बी, आई. पी. सी. को खारिज कर दिया जाता है-उच्च न्यायालय और निचली अदालत द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है-दंड भारतीय दण्ड संहिता, 1860-एस.120-बी, 403, 406, 420 आर/डब्ल्यू एस। 34 – भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 -s.15-HA-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -एस. 34.

सी.

डी.

ई.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:पूरी शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि एकमात्र आरोप यह है कि आरोपी नंबर **1** कंपनी ने शेयरों के बाजार मूल्य में गिरावट आने पर खुद को शेयर बेच दिए थे। बयान अंतर-निगमित जमा समझौते (आई. सी. डी. ए.) के साथ-साथ शपथ पत्र (एल.

ओ. पी.) में पक्षों के बीच सहमत शर्तों के बिल्कुल विपरीत हैं। आई. सी. डी. ए. के साथ-साथ एल. ओ. पी. विशेष रूप से अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों को या तो खुद को या उनकी कंपनियों के समूह को शेयर बेचने के लिए अधिकृत करता है। अभियुक्त नंबर **1** कंपनी ने पहले ही **14 अगस्त 2001** को मध्यस्थता खंड लागू कर दिया था। मध्यस्थता कार्यवाही में, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या **1** द्वारा एक विशिष्ट रुख अपनाया गया था कि अभियुक्त संख्या **1** कंपनी को पहली चूक के चरण में, यानी मई **2000** में प्रतिज्ञा का आह्वान करना चाहिए था। हालाँकि, अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलकर्ताओं ने गिरवी रखे गए शेयरों को बेचने के लिए अगस्त-सितंबर, **2001** तक इंतजार किया, जो इस बीच मूल्य में गिर गए थे।

एफ.

जी.

एच.

844 ए.

845

प्रकाश अग्रवाल बनाम गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड और एक और ए

मध्यस्थता कार्यवाही के समक्ष एक अन्य आरोप यह था कि आरोपी नंबर **1** कंपनी ने शेयरों की कीमत में हेरफेर किया था। इस प्रकार, हालाँकि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर **1** को वर्ष **2001** की शुरुआत में शेयरों की बिक्री के बारे में पता था, लेकिन उसने वर्ष **2006** तक कुछ नहीं किया, जब उसके अनुसार, उसने विवरण के लिए बीएसई और एनएसई को आवेदन किया था। वर्ष **2006** के बाद भी, शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या **1** ने शिकायत दर्ज कराने के लिए वर्ष **2011** तक इंतजार किया। यद्यपि, इस न्यायालय के समक्ष शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या **1** द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि उसे वर्ष **2009** में अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों के धोखाधड़ीपूर्ण कार्य के बारे में पता चला, जिसने उसे शिकायत दर्ज करने के लिए कार्रवाई का कारण दिया, शिकायत में उस प्रभाव का कोई प्रमाण नहीं है। जहाँ तक इस अन्य तर्क का संबंध है कि शेयरों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचा गया था, उस संबंध में शिकायत में कोई तर्क नहीं है। किसी भी मामले में, लेनदेन बीएसई और एनएसई के माध्यम से किए गए हैं। इस प्रकार, इस संबंध में विवाद सारहीन है। किसी भी मामले में, मध्यस्थ द्वारा उस संबंध में एक विशिष्ट निष्कर्ष दिया गया है। उक्त मध्यस्थता निर्णय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा **34** के तहत कार्यवाही में चुनौती दी गई है। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या **1** ने पक्षों के बीच विशुद्ध रूप से संविदात्मक विवाद को आपराधिक मामले में बदलने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, शिकायत दर्ज करने में अत्यधिक देरी हो रही है। हालाँकि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या **1** को वर्ष **2001** में

शेयरों की बिक्री के बारे में पता था, लेकिन उसने मध्यस्थ के समक्ष आवेदन दायर करने के अलावा कुछ नहीं किया। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या **1** के अनुसार, उसे वर्ष **2006** में बी. एस. ई. और एन. एस. ई. से जानकारी मिली, जिसने धोखाधड़ी के बारे में उसके संदेह को मजबूत किया। इसके बाद भी, **5** साल की अवधि के लिए, यह चुप रहा और केवल वर्ष **2011** में शिकायत दर्ज की गई। अपने अंकित मूल्य पर ली गई शिकायत में यह खुलासा नहीं किया गया है कि शिकायत किए गए अपराध के किसी भी तत्व को बनाया गया है। वर्तमान शिकायत कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। निचली अदालत में भारतीय दण्ड संहिता की धारा **403, 406, 420** और **120** बी के तहत दायर शिकायत को खारिज कर दिया जाता है। [पैरा **16, 17, 20-24**] **[853-E, G-H; 854-A-B; 855-D-H; 856-A-B, C-E]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

846

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: 2023 की आपराधिक अपील संख्या 1308।

2020 के सी. आर. एल. डब्ल्यू. पी. संख्या 349 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 26.04.2021 से।

के साथ

बी.

2023 की आपराधिक अपील संख्या 1309 और 1310-1311।

श्याम दीवान, विजय अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अंकुर चावला, आमिर खान, वैभव मल्होत्रा, शिवम टंडन, सुश्री अरुणा गुप्ता, विजय जुनेजा, सुश्री सनम, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सी.

अभिषेक एम. सिंघवी, श्रीमती अंजना प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री इति शर्मा, पुनीत शर्मा, अंशय धतवालिया, आदित्य जोशी, अश्विनी कुमार, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भरत बागला, सुश्री श्रेया सक्सेना, सुश्री यामिनी सिंह, सौरव सिंह, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगणों के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपीलें बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 26 अप्रैल 2021 के फैसले और आदेश को चुनौती देती हैं, जिससे अपीलार्थीगण द्वारा दायर 2020 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 328,349 और 357 को खारिज कर दिया गया है, जिसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, रेलवे मोबाइल कोर्ट, अंधेरी, मुंबई (जिसे इसके बाद "ट्रायल कोर्ट" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा 22 मार्च 2017 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिससे उन्हें समन जारी किया गया है। उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर 2020 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 127,128,129 और 130 को अनुमति दी, जिससे 22 मार्च 2017 के आदेश को बरकरार रखा गया।

ई.

एफ.

3. संक्षेप में, वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गत:

जी.

3.1. मूल वादी और प्रत्यर्थी संख्या 1 गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड ने मॉर्गन सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड-अभियुक्त संख्या 1 से 14 फरवरी 2000 और 7 मार्च 2000 की दो अंतर-निगमित जमा (जिसे इसके बाद "आईसीडी" के रूप में संदर्भित किया गया है) सुविधाओं का लाभ उठाया। उक्त आई. सी. डी. रुपये में थी। 50,00,000-प्रत्येक का भुगतान 15 मई ए तक किया जाएगा।

प्रकाश अग्रवाल बनाम गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

2000 और 5 जून 2000।आई. सी. डी. के अनुसार, आई. सी. डी. राशि का 200% सुरक्षा कवच बनाए रखा जाना था।तदनुसार, शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अभियुक्त संख्या 1 कंपनी के पक्ष में एक शपथ पत्र (संक्षेप में, "एल. ओ. पी".) निष्पादित किया, जिसमें प्रतिभूति के रूप में अपने इक्विटी शेयरों के 15,00,000 को गिरवी रखा गया, जिसमें प्रत्येक शेयर का मूल्य रु। 16/-, इस प्रकार रु। 2,40,00,000/-।

बी.

3.2.अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण
शअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणअअपीलार्थीगणगअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणवअपीलार्थीगणाअपी
लार्थीगणलअपीलार्थीगण,अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणगअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणऔअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणुअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणशअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणचअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणदअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणगअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगण,अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणयअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणचअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणाअ
पीलार्थीगणकअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगण,अपीला
र्थीगण अपीलार्थीगणजअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणआअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणबअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगण 1 अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणीअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणनअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणशअपीलार्थीगणकअपी
लार्थीगण अपीलार्थीगणथअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण,अपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणइअपीलार्थीगणसअपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगण-
अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगणअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणतअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणदअपी
लार्थीगणिअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगण अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण

अपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणोअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणपअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणरअपीलार्थीगणबअपीलार्थीगणंअपीलार्थीगणधअपीलार्थीगणनअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणकअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणलअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणएअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणजअपीलार्थीगणिअपीलार्थीगणमअपीलार्थीगण्अपीलार्थीगणमअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगणदअपीलार्थीगणाअपीलार्थीगणरअपीलार्थीगण
अपीलार्थीगणथअपीलार्थीगणेअपीलार्थीगण।अपीलार्थीगणमूल शिकायत में उन्हें आरोपी संख्या 2 से 4 के रूप में आरोपित किया गया था।

3.3.3 मई 2000 को आरोपी नंबर 1 कंपनी ने शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1 को एक नोटिस जारी कर अतिरिक्त शेयरों को गिरवी रखने के लिए कहा क्योंकि गिरवी रखे गए शेयरों का मूल्य घटकर 3 करोड़ रुपये रह गया था। 1,24,50,000/- वित्तीय बाजार में मंदी के कारण, जिसके परिणामस्वरूप रु। 75,50,000-सहमत सुरक्षा कवर से यानी ICD राशि का 200%।

सी.

डी.

3.4.वित्तीय कठिनाई के कारण, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 5 जून 2000 को आई. सी. डी. राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं था, यानी नियत तारीख, और इसलिए, इसने आरोपी संख्या 1 कंपनी को सूचित किया कि वह देय राशि प्राप्त करने के लिए गिरवी रखे गए शेयरों को बेच सकती है, और शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 को अतिरिक्त राशि भेज सकती है। इसके बाद, आरोपी नंबर 1 कंपनी ने शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1 को आश्वासन दिया कि जब भी शेयर बेचे जाएंगे, शेष राशि, यदि कोई हो, उसे भेज दी जाएगी।
3.5.25 अगस्त 2000 को, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 ने पहली आईसीडी का भुगतान किया और ऋण खाता बंद कर दिया गया।

ई.

3.6.यह ध्यान देने योग्य है कि आईसीडी पर जो ब्याज लिया जा रहा था, वह आरोपी नंबर 1 कंपनी द्वारा 6 अगस्त 2001 तक नियमित रूप से वसूल किया जा रहा था। इस बीच, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1 आरोपी नंबर 1 कंपनी के साथ लगातार संपर्क में था, जिसमें शेयरों की बिक्री का विवरण मांगा गया था। हालांकि, इन अनुरोधों को खारिज कर दिया गया, जिसमें आरोपी नंबर 1 कंपनी ने शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1 को आईसीडी पर ब्याज के मुद्दे के साथ शेयरों की बिक्री के मुद्दे को भ्रमित नहीं करने के लिए कहा।

एफ.

जी.

3.7.2 अगस्त 2001 को, आरोपी नंबर 1 कंपनी ने शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1 को एक और नोटिस जारी किया, जिसमें आईसीडी के 2 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान की मांग की गई। 50,00,000-क्योंकि गिरवी रखे गए शेयरों का मूल्य गिरकर रु। 44,25,000-, ऐसा न करने पर गिरवी रखे गए शेयरों को बेच दिया जाएगा।

एच.

848

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

3.8. इसके बाद, 14 अगस्त 2001 को, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 ने रु। 25,00,000-शुरू में पाँच समान मासिक किश्तों में, पहली किश्त का भुगतान 25 अगस्त 2001 को या उससे पहले किया जाना है। हालांकि, उसी दिन, आरोपी नंबर 1 कंपनी ने आई. सी. डी. समझौते में मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1 से बकाया राशि का दावा करते हुए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया।

बी.

3.9. मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, आरोपी नंबर 1 कंपनी ने 15,00,000 गिरवी रखे गए शेयरों को Rs.24,67,631/- की राशि के लिए एक डूगर एंड एसोसिएट्स लिमिटेड को बेच दिया, जिसे बाद में वर्ष 2004 में मॉर्गन वेंचर्स लिमिटेड का नाम दिया गया। महत्वपूर्ण रूप से, आरोपी संख्या 2 से 4 भी इस हस्तांतरणकर्ता कंपनी में निदेशक थे।

सी.

3.10. शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 ने 11 फरवरी 2011 को निचली अदालत के समक्ष धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ सी. सी. संख्या 56/एस. डब्ल्यू./2011 से लेकर 4 तक आपराधिक शिकायत दर्ज की। 11 सितंबर 2012 के आदेश के माध्यम से, मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, "आई. पी. सी.") की धारा 403, 406, 420 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सभी अभियुक्तों के खिलाफ प्रक्रिया जारी की।

डी.

3.11. उपरोक्त आदेश को बॉम्बे में ग्रेटर बॉम्बे के लिए सत्र न्यायालय के समक्ष 2012 का आपराधिक संशोधन आवेदन संख्या 1276 दायर करके चुनौती दी गई थी। 16 जनवरी 2016 के आदेश के अनुसार, उक्त आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को अनुमति दी गई और

मामले को निचली अदालत में भेज दिया गया, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 के तहत सत्यापन को फिर से दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

ई.

3.12. इस बीच, 9 दिसंबर 2015 को आरोपी नंबर 1 कंपनी के पक्ष में एक मध्यस्थ निर्णय पारित किया गया और शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी नंबर 1 को 36 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ Rs.34,59,218/- की दावा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

एफ.

3.13.16 जनवरी 2016 के रिमांड आदेश के अनुसार, निचली अदालत ने 22 मार्च 2017 के आदेश के माध्यम से आरोपी संख्या 1 से 4 के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (संक्षेप में, "एस. ई. बी. आई. अधिनियम") की धारा 15-एच. ए. के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ धारा 406, 420 के तहत प्रक्रिया जारी की।

जी.

3.14. उसी से व्यथित होकर, अभियुक्त ने सत्र न्यायालय, डिंडोशी, मुंबई के समक्ष 2017 का No.128 होने के नाते आपराधिक संशोधन आवेदन दायर किया। 2 दिसंबर 2019 के आदेश के अनुसार उक्त संशोधन ए

एच.

849

प्रकाश अग्रवाल बनाम गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

आवेदन की आंशिक रूप से अनुमति थी। जहाँ तक अभियुक्त संख्या 1 कंपनी के खिलाफ जारी प्रक्रिया का संबंध है, इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था और अलग कर दिया गया था, जबकि अभियुक्त संख्या 2 से 4 के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने को केवल भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 420 और एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-एच. ए. के तहत अलग रखा गया था। हालांकि, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 406 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी संख्या 2 से 4 के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने की पुष्टि हुई।

बी.

3.15. उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 और आरोपी संख्या 2 से 4/अपीलार्थीगण दोनों द्वारा आपराधिक रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। उच्च

न्यायालय ने 26 अप्रैल 2021 के विवादित फैसले के माध्यम से शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और आरोपी संख्या 2 से 4 द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे निचली अदालत के आदेश की पुष्टि हुई और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 406 और 420 के तहत उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी करने की पुष्टि हुई। एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15-एच. ए. के तहत आरोपों को शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 1 के कहने पर हटा दिया गया था, जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया था कि वह उसी के तहत आवेदन को आगे नहीं बढ़ाएगा।

सी.

डी.

3.16.इसलिए, वर्तमान अपीलें।

4. हमने श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री वैभव मल्होत्रा, आरोपी संख्या 2 से 4 अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, श्रीमती अंजना प्रकाश, शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री सिद्धार्थ धर्माधिकारी, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

ई.

5. श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि शिकायत, यहां तक कि इसके अंकित मूल्य पर भी ली गई है, यह खुलासा नहीं करती है कि किसी भी अपराध के तत्व बनाए गए हैं। वह प्रस्तुत करता है कि अंतर-निगमित जमा समझौते (इसके बाद "आई. सी. डी. ए". के रूप में संदर्भित) के साथ, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 ने विचाराधीन शेयरों को गिरवी रखा था। एल. ओ. पी. के अनुसार, अभियुक्त नंबर 1 कंपनी चूक या अन्यथा की स्थिति में किसी भी समय गिरवी रखने का हकदार थी। एल. ओ. पी. में उक्त प्रतिभूतियों को बेचने और निपटाने का अधिकार भी दिया गया था। वह आगे प्रस्तुत करता है कि, एल. ओ. पी. के अनुसार, आरोपी नंबर 1 कंपनी खुद को शेयर बेच सकती थी।

एफ.

जी.

6. श्री दीवान आगे प्रस्तुत करते हैं कि, उसी विवाद के संबंध में, पक्षों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित की गई थी।

एच.

शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया है और विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा एक मध्यस्थता पुरस्कार भी पारित किया जाता है। वह प्रस्तुत करता है कि इसे शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के तहत एक कार्यवाही द्वारा चुनौती दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पक्षों के बीच विवाद, यदि कोई हो, विशुद्ध रूप से नागरिक प्रकृति का है और आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा।

बी.

7. डॉ. सिंघवी, इसके विपरीत, प्रस्तुत करते हैं कि शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आरोपी व्यक्तियों/अपीलार्थियों को 5 जून 2000 को शेयर बेचने के लिए सूचित किया था। हालाँकि, अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थीगण ने उस समय शेयरों को नहीं बेचने का फैसला किया क्योंकि बाजार मूल्य बहुत अधिक था। वह प्रस्तुत करता है कि यह तथ्य कि शेयर अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलकर्ताओं द्वारा एक ऐसी कंपनी को बेचे गए थे, जिसमें अभियुक्त संख्या 2 और 3 भी निदेशक हैं, कम कीमत पर, स्पष्ट रूप से उनकी ओर से एक बेईमान इरादे को दर्शाता है। वे प्रस्तुत करते हैं कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 को पहली बार वर्ष 2009 में अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों द्वारा किए गए अवैध कार्य के बारे में पता चला और इसलिए शिकायत दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई है। वे प्रस्तुत करते हैं कि, किसी भी मामले में, निचली अदालत, पुनरीक्षण अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने समवर्ती रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, एक मामला बनाया जाता है। इसलिए वह प्रस्तुत करता है कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी। इसलिए वह शिकायत को खारिज करने की प्रार्थना करता है। 8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहायता से, हमने अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

9. यह विवाद में नहीं है कि मैसर्स गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड, यानी शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1 और मैसर्स मॉर्गन सिक्वोरिटीज एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी आरोपी नंबर 1 के बीच 7 मार्च 2000 को एक आई. सी. डी. ए. दर्ज किया गया था। उक्त आई. सी. डी. ए. के तहत, अभियुक्त संख्या 1 कंपनी शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 को 26 प्रतिशत प्रति

वर्ष की ब्याज दर पर 90 दिनों की अवधि के लिए <आई. डी. 1,00,000/- की उक्त आई. सी. डी. देने पर सहमत हुई थी।आई. सी. डी. ए. की शर्तों के खंड 2 और 3 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

जी.

“2. ऋणकर्ता इस बात से अवगत है कि आई. सी. डी. ऋणदाता द्वारा मंजूरी की शर्तों के अनुसार प्रदान की जाने वाली प्रतिभूतियों के आधार पर दी जा रही है।

एच.

851

प्रकाश अग्रवाल बनाम गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

3. उधारकर्ता इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत है कि वह अपने अवास्तविक प्रतिभागी को ऋणदाता के पक्ष में ग्रहणाधिकार को चिह्नित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय निर्देश जारी करने की व्यवस्था करेगा जब तक कि आईसीडी और कोई अन्य बकाया भुगतान नहीं किया जाता है।शेयरों के विमुद्रीकरण से संबंधित सभी खर्च उधारकर्ता द्वारा किए जाएंगे।”

10. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आई. सी. डी. ऋणदाता द्वारा मंजूरी की शर्तों के अनुसार प्रदान की जाने वाली प्रतिभूतियों के आधार पर दी गई थी।शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 ने भी अपरिवर्तनीय रूप से सहमति व्यक्त की है कि वह अपने अवास्तविक प्रतिभागी को ऋणदाता के पक्ष में ग्रहणाधिकार को चिह्नित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय निर्देश जारी करने की व्यवस्था करेगा जब तक कि आईसीडी और कोई अन्य बकाया भुगतान नहीं किया जाता है।आई. सी. डी. ए. के खंड 9 के निम्नलिखित भाग को संदर्भित करना आगे प्रासंगिक होगा:

बी.

सी.

“9.

क) ऊपर की सहमति के अनुसार ब्याज की किसी भी किस्त का भुगतान करने की आवश्यकता है, भुगतान के लिए संबंधित नियत तिथि से 3 दिनों की समाप्ति के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है।ख) शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिज्ञा की गई प्रतिभूति में कोई कमी जिसे निष्पादित किया गया है, बशर्ते कि दी गई सुविधा को उसमें प्रदान की गई उचित सूचना देने के बाद भी फिर से नहीं भरा जाता है।

डी.

सी)।....

ई.

डी)।

ई)।

च)।

एच)।

एफ.

(i)।”

11. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आई. सी. डी. ए. के खंड 9 के उपखंड (ए) से (आई) में होने वाली किसी भी घटना की स्थिति में, ऋणदाता आई. सी. डी. ए., व्यक्तिगत गारंटी विलेख, निगमित गारंटी और एल. ओ. पी. में उल्लिखित अपने अधिकारों को लागू करने का अपने विवेकाधिकार पर हकदार होगा। आई. सी. डी. ए. के खंड 9 के उपखंड (ए) के अवलोकन से पता चलेगा कि यदि आई. सी. डी. ए. के अनुसार भुगतान करने के लिए आवश्यक ब्याज की कोई भी किस्त भुगतान के लिए संबंधित नियत तिथि से 3 दिनों की समाप्ति के बाद भी भुगतान नहीं की जाती है, तो आरोपी संख्या 1 कंपनी आई. सी. डी. ए. के खंड 9 में उल्लिखित अपने अधिकारों को लागू करने की हकदार थी। इसी तरह, अगर प्रतिभूति में कोई कमी आती है

जी.

एच.

852

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

एल. ओ. पी. को निष्पादित करते हुए, जिसके अधीन सुविधा प्रदान की गई थी, उचित सूचना देने के बाद भी उसकी भरपाई नहीं की गई थी, आरोपी संख्या 1 कंपनी आई. सी. डी. ए. के खंड 9 को लागू करने की हकदार थी।

12. एल. ओ. पी. के खंड 5 और 8 (5) का उल्लेख करना आगे प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

बी.

“5. प्रतिज्ञा लेने वाला किसी भी समय चूक की स्थिति में या अन्यथा उतने शेयरों के लिए प्रतिज्ञा का आह्वान कर सकता है जितना प्रतिज्ञा लेने वाला/ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर उचित समझता है। हालांकि, गिरवी के इस तरह के आह्वान से ऋणदाता को शेयर की बिक्री नहीं होगी और उधारकर्ता उस तारीख को ऋणदाता के खाते में शेयरों के इस तरह के हस्तांतरण पर किसी भी क्रेडिट/समायोजन का हकदार नहीं होगा। वह राशि जो बाजार में ऋणदाता द्वारा की गई वास्तविक बिक्री के बदले में प्राप्त की जा सकती है और उन परिस्थितियों में केवल उधारकर्ता ही आईसीडी बकाया के खिलाफ इस तरह से प्राप्त बिक्री आय के समायोजन का हकदार होगा। प्लेजर इस बात से सहमत है कि उसने अवधारणा को समझ लिया है और उस पर कोई विवाद पैदा नहीं करेगा।

सी.

डी.

8.

(i)।

(ख)।

ई.

iii)।

(iv)।

v) उपरोक्त खंड 7 में उल्लिखित परिस्थितियों के तहत आपको उक्त प्रतिभूतियों को बेचने और निपटाने में सक्षम बनाने के लिए, हम आपको बकाया राशि को समायोजित करने में उक्त शेयरों का निपटान करने के लिए सभी कार्य और कार्य करने का अधिकार देते हैं। हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि हम उस कीमत के कारण किसी भी नुकसान का विवाद या दावा नहीं करेंगे जिस पर प्रतिभूतियों को ऋणदाता द्वारा खुद को, अपनी समूह कंपनियों या किसी बाहरी व्यक्ति को बेचा जाता है।”

एफ.

13. एल. ओ. पी. के खंड 5 के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिज्ञाकर्ता किसी भी समय चूक की स्थिति में या अन्यथा उतने शेयरों के लिए गिरवी रखने का हकदार था जितना कि प्रतिज्ञाकर्ता/ऋणदाता अपने विवेकाधिकार में उपयुक्त समझता है। इसने आगे यह प्रावधान किया कि गिरवी के इस तरह के आह्वान से ऋणदाता को शेयरों की बिक्री नहीं होगी और उधारकर्ता ए के इस तरह के आह्वान/हस्तांतरण पर किसी भी क्रेडिट/समायोजन का हकदार नहीं होगा।

जी.

एच.

853

प्रकाश अग्रवाल बनाम गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

उस तारीख को ऋणदाता के खाते में हिस्सेदारी। इसने आगे यह प्रावधान किया कि बाजार में ऋणदाता द्वारा वास्तविक बिक्री के रूप में और उस स्थिति में जो राशि प्राप्त की जा सकती है, केवल उधारकर्ता ही आईसीडी बकाया के खिलाफ इस तरह से प्राप्त बिक्री आय के समायोजन का हकदार होगा। यह आगे खुलासा करेगा कि प्रतिज्ञाकर्ता इस बात पर सहमत था कि उसने अवधारणा को समझ लिया है और उस पर कोई विवाद पैदा नहीं करेगा। 14. एल. ओ. पी. के खंड 8 के उपखंड (v) के अवलोकन से पता चलेगा कि शपथ लेने वाले द्वारा एल. ओ. पी. में उल्लिखित परिस्थितियों में उक्त प्रतिभूतियों को बेचने और निपटाने के लिए एक विशिष्ट अधिकार दिया गया है। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 ने बकाया राशि को समायोजित करने के लिए उक्त शेयरों के निपटान के लिए सभी कार्य और कार्य करने पर भी सहमति व्यक्त की है। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 ने आगे सहमति व्यक्त की है कि वह इस बात पर सवाल नहीं उठाएगा कि क्या अभियुक्त संख्या 1 कंपनी को प्रतिभूतियों के लिए सबसे अच्छा मूल्य मिला था।

बी.

सी.

15. आई. सी. डी. ए. के साथ-साथ एल. ओ. पी. की शर्तों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आई. सी. डी. ए. के खंड 9 में प्रदान की गई किसी भी घटना की स्थिति में, अभियुक्त संख्या 1 कंपनी को या तो खुद को, अपनी समूह कंपनियों को या किसी भी बाहरी व्यक्ति को शेयर बेचने का अधिकार था। अभियुक्त नं. 1 कंपनी ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि जिस मूल्य पर ऐसी प्रतिभूतियाँ बेची गई थीं, उसके कारण किसी भी नुकसान का विवाद या दावा नहीं किया जाएगा।

डी.

16. पूरी शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि एकमात्र आरोप यह है कि आरोपी नंबर 1 कंपनी ने शेयरों के बाजार मूल्य में गिरावट आने पर खुद को शेयर बेच दिए थे। आरोप यह है कि

ई.

“ अभियुक्त ने वादी के अधिक शेयर प्राप्त करने के लिए शेयर की कीमत में और गिरावट का इंतजार किया और उन्हें केवल 2001 में रु. 24,67,531-। इस प्रकार अभियुक्त संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से अनधिकृत, अवैध और धोखाधड़ी वाली बिक्री और विश्वासघात के

लिए भी उत्तरदायी हैं। अभियुक्त ने न केवल शेयरों का दुरुपयोग किया, बल्कि वादी को धोखा भी दिया क्योंकि प्रतिभूतियों को केवल न्यास में एक मुचलके के रूप में और अभियुक्त के आश्वासन पर सौंप दिया गया था जो बाद में गलत साबित हुआ कि उसी से SEBI के दिशानिर्देशों के अनुसार निपटा जाएगा।

एफ.

17. उपरोक्त कथन आई. सी. डी. ए. के साथ-साथ एल. ओ. पी. में पक्षों के बीच सहमत शर्तों के बिल्कुल विपरीत हैं। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, आई. सी. डी. ए. के साथ-साथ एल. ओ. पी. विशेष रूप से अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों को अपने या अपनी कंपनियों के समूह को शेयर बेचने के लिए अधिकृत करता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्त नंबर 1 कंपनी ने पहले ही मध्यस्थता खंड को लागू कर दिया था

जी.

एच.

854

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

14 अगस्त 2001। मध्यस्थता कार्यवाही में, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक विशिष्ट रुख अपनाया गया था कि अभियुक्त संख्या 1 कंपनी को पहली चूक के चरण में, यानी मई 2000 में प्रतिज्ञा का आह्वान करना चाहिए था। हालाँकि, अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलकर्ताओं ने गिरवी रखे गए शेयरों को बेचने के लिए अगस्त-सितंबर, 2001 तक इंतजार किया, जो इस बीच मूल्य में गिर गए थे। मध्यस्थता कार्यवाही के समक्ष एक अन्य आरोप यह था कि आरोपी नंबर 1 कंपनी ने शेयरों की कीमत में हेरफेर किया था। विद्वान मध्यस्थ द्वारा तैयार किए गए अंक संख्या 2 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

बी.

“2) क्या गिरवी रखे गए 15 लाख इक्विटी शेयर बेच दिए गए हैं? यदि हां, तो कब, किस दर से, किसके लिए और किस प्रभाव से? (ओपीपी)।

सी.

(उपरोक्त निर्गम में यह तर्क शामिल होगा कि दावेदार ने सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर शेयर नहीं बेचे हैं। इसमें यह आरोप भी शामिल होगा कि क्या दावेदार 3 मई, 2000 के पत्र में बताए गए शेयरों को बेचने के लिए बाध्य थे)।”

डी.

18. विद्वान मध्यस्थ के 9 दिसंबर 2005 के अपने पुरस्कार में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा:

“32. उल्लेखनीय है कि दावेदार द्वारा 24.03.2001 पर गिरवी रखे गए शेयरों की औसत कीमत रु। 2. 47 प्रति इक्विटी शेयर, प्रत्यर्थी संख्या एल के अपने दावे के अनुसार [जैसा कि पैरा बी (ऊपर) में संदर्भित दिनांकित लिखित नोट में उल्लिखित है]। यह भी इन 1 विवाद नहीं है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि 02.08.2001 पर प्रति शेयर औसत बाजार मूल्य रु। 2. 95 प्रति शेयर। शेयरों की कीमत में इस तरह के मामूली उतार-चढ़ाव; और वह भी जब दावेदार को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदतन चूक की स्थिति में पूरी प्रतिभूति का एहसास करने के लिए विवश किया गया था; शेयरों के लिए बहुत से खरीदार नहीं थे; मूल्य हेरफेर के परिणाम के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थीगणों को कोई गलत नुकसान होता है। 33. अगर शेयर की कीमत रुपये के बराबर होती। अगस्त, 2001 में 8 या 10 प्रति शेयर; तब दावेदार द्वारा 2/- रुपये आदि के क्षेत्र में की गई बिक्री संभवतः मूल्य हेरफेर का आरोप आकर्षित कर सकती थी। हालांकि, दी गई परिस्थितियों में और ऊपर बताए गए कारणों से, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं।”

ई.

एफ.

जी.

19. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 को वर्ष 2001 में ही शेयरों की बिक्री की जानकारी थी जब मध्यस्थता ए

एच.

855

प्रकाश अग्रवाल बनाम गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

कार्यवाही शुरू की गई। शिकायत में, यह आरोप लगाया गया है कि मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 को अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थीगण द्वारा की गई अवैधताओं पर संदेह हुआ और उसने कुछ जानकारी मांगी। हालांकि, चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलकर्ताओं ने जानकारी नहीं दी, इसलिए शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 24 अगस्त 2001, 31 अगस्त 2001, 3 सितंबर 2001 और 12 सितंबर 2001 को अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलकर्ताओं द्वारा अपने शेयरों की बिक्री के विवरण के लिए वर्ष 2006 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (संक्षेप में, "बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (संक्षेप में,

"एनएसई") में आवेदन किया। शिकायत में कहा गया है कि इसके बाद ही, वर्ष 2006 में, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 को इस तथ्य के बारे में पता चला कि अधिकांश शेयर शेयर बाजार के समापन समय और दिन के सबसे कम मूल्य पर बेचे गए थे। यह माना जाता है कि केवल उसी समय, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 को पता चला कि शेयर अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों द्वारा उनकी अपनी कंपनियों को बेचे गए थे।

बी.

सी.

20. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हालाँकि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1 को वर्ष 2001 की शुरुआत में शेयरों की बिक्री के बारे में पता था, लेकिन उसने वर्ष 2006 तक कुछ नहीं किया, जब उसके अनुसार, उसने विवरण के लिए बीएसई और एनएसई को आवेदन किया था। वर्ष 2006 के बाद भी, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 ने शिकायत दर्ज कराने के लिए वर्ष 2011 तक इंतजार किया। यद्यपि, हमारे समक्ष शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि उसे वर्ष 2009 में अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों के धोखाधड़ीपूर्ण कार्य के बारे में पता चला, जिसने उसे शिकायत दर्ज करने के लिए कार्रवाई का कारण दिया, शिकायत में उस प्रभाव का कोई प्रमाण नहीं है।

डी.

ई.

21. जहाँ तक इस अन्य तर्क का संबंध है कि शेयरों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचा गया था, उस संबंध में शिकायत में कोई तर्क नहीं है। किसी भी मामले में, लेनदेन बीएसई और एनएसई के माध्यम से किए गए हैं। इस प्रकार, इस संबंध में विवाद सारहीन है। किसी भी मामले में, विद्वान मध्यस्थ द्वारा उस संबंध में एक विशिष्ट निष्कर्ष दिया गया है। जैसा कि हमें पहले ही सूचित किया जा चुका है, उक्त मध्यस्थता निर्णय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में चुनौती के तहत है। हम उक्त पुरस्कार के गुण या दोषों के बारे में कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि सक्षम अदालत ने इसे जब्त कर लिया है।

एफ.

जी.

22. हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से प्रकट करेगा कि शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पक्षों के बीच विशुद्ध रूप से संविदात्मक विवाद को आपराधिक मामले में बदलने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, शिकायत दर्ज करने में अत्यधिक देरी हो रही है। यद्यपि शिकायतकर्ता /

एच.

प्रत्यर्थी संख्या 1 को वर्ष 2001 में शेयरों की बिक्री के बारे में पता था, उसने विद्वान मध्यस्थ के समक्ष आवेदन दायर करने के अलावा कुछ नहीं किया। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार, उसे वर्ष 2006 में बी. एस. ई. और एन. एस. ई. से जानकारी मिली, जिसने धोखाधड़ी के बारे में उसके संदेह को मजबूत किया। इसके बाद भी, 5 साल की अवधि के लिए, यह चुप रहा और केवल वर्ष 2011 में शिकायत दर्ज की गई। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, हालाँकि सुनवाई के समय यह तर्क देने का प्रयास किया गया था कि उसने वर्ष 2009 में धोखाधड़ी के बारे में पता चलने के बाद ही शिकायत दर्ज की है, लेकिन शिकायत में उस प्रभाव का कोई प्रमाण नहीं है।

बी.

23. हम पाते हैं कि शिकायत, जो उसके अंकित मूल्य पर ली गई है, यह खुलासा नहीं करती है कि शिकायत किए गए अपराध के किसी भी तत्व को बनाया गया है। परिस्थितियों की समग्रता में, हम पाते हैं कि वर्तमान शिकायत कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए, हम पाते हैं कि अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए।

सी.

24. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैं: ((i) अपीलों की अनुमति है।

डी.

((ii) उच्च न्यायालय द्वारा 26 अप्रैल, 2021 को पारित विवादित निर्णय और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च, 2017 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है।

ई.

((iii) भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 403, 406, 420 और 120 बी के तहत निचली अदालत में दायर सी. सी. संख्या 56/एस. डब्ल्यू./2011 वाली शिकायत को खारिज कर दिया जाता है।

25. तथापि, हम स्पष्ट करते हैं कि इसमें या आक्षेपित आदेशों में जो कुछ भी देखा गया है, वह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में या किसी अन्य कार्यवाही में मध्यस्थता पुरस्कार को जन्त करने वाले मंच के साथ वजन नहीं करेगा, यदि अपीलार्थीगण द्वारा सहारा लिया जाता है, यदि वे कानूनी रूप से हकदार हैं।

एफ.

26. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

जी.

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

एच.